



EAST CENTRAL RAILWAY

SAMASTIPUR / DIV

ID: 2026604981

Office Order No. : 26/NG/2026/Medical/SPJ

Office Of: मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

Date : 08-01-2026

मंडल रेल प्रबंधक (का0)/समस्तीपुर के जापन संख्या- का/239/तृतीय श्रेणी/अनु०/गो०/2025, दिनांक- 14.11.2025 द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी अनुकम्पा के आधार पर रोगी परिचारक, लेवल-01 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाये गये हैं। ये सभी अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरान्त अस्थायी नियुक्ति करते हुए इनकी पदस्थापना चिकित्सा विभाग के रोगी परिचारक, लेवल-1 के पद पर मंडल रेल अस्पताल/समस्तीपुर में की जाती है:-

Sr No.	Employee Details Name, Community, DOB	Appointment Details	Posting Details Unit, BU, Department, Station	ID-Marks	W.E.F	Mode of Appointment	Employee Signature	Employee Photo
1	SUNITA DEVI SC DOB: 04-03-1992 MEDICAL: Fit in A2 (Cert No: 6568) PAN: EUTPO2957N HRMS ID: OIMPMJ	HOSPITAL ASSISTANT (ATTENDANT / AYAHs) Level: 1 Basic: 18000	SAMASTIPUR / DIV 3006161 MEDICAL SPJ	1. BLACK MOLE NEAR LEFT WRIST 2. CUT MARK ON RIGHT WRIST	NA	CGA		

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०-F(E)/III/2003/PN-I/24 दिनांक- 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक- 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना अथवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०- F(E)/III/2025/UPS/1 दिनांक- 28.03.2025 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक- 01.04.2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(अरुण कुमार मंडल)
सहायक कार्मिक अधिकारी-II
समस्तीपुर

File Reference No. : ECR-SPJ0PERS(rect)/0002/2025

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. मुविधि/सम0: कृपया संबंधित कर्मचारी का योगदान रिपोर्ट मरेप्र (का0) कार्यालय/समस्तीपुर को भेजवाना सुनिश्चित करें। 2. वसविप्र/सम0 3. संबंधित बिल लिपिक 4. मुकार्याधी/एम. पी. पी.- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें। 5. संबंधित कर्मचारी 6. मंडल मंत्री- ईसीआरईयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 7. अभिलेख हेतु।

(अरुण कुमार मंडल)

सहायक कार्मिक अधिकारी-II

Annexure attached : 0 Pages

समस्तीपुर